न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल , जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सर्वेश शर्मा R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 74/2024 दायर तारीख :– 30.12.2024

1. राकेश कुमार तोतला पुत्र श्री शांता प्रसाद तोतला जाति महाजन निवासी कि0 रेनवाल तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर राज0
2. रविशंकर पुत्र दौलतचन्द जाति सोनी निवासी मंढा भीमसिंह तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

01. तहसीलदार तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर राज0
02. कैलाश पुत्र चन्द्राराम जाति बलाई निवासी धाना का बास तहसील कि0 रेनवाल जि0 जयपुर राज0
03. कानाराम पुत्र बजरंगलाल जाति बलाई निवासी मण्डावरी तह0 फागी जिला जयपुर राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0ऐक्ट

निर्णय

निर्णय दिनांक :8/8/25

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 324 रकबा 0.4299 हैक्टैयर वाके ग्राम मंढा भीमसिंह तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजीयात प्रार्थी संख्या 1 ने जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 15.02.2019 के अप्रार्थी संख्या 02 से खरीद की थी तब से प्रार्थी संख्या 01 का कब्जा चला आ रहा है। और उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। तथा अप्रार्थी संख्या 02 ने जहां पर प्रार्थी संख्या 01 का कब्जा करवाया था वहीं पर उसका कब्जा चला आ रहा है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 02 ने आराजी खसरा नम्बर 1466/324 रकबा 0.4299 हैक्टैयर वाके ग्राम मंढा भीमसिंह पटवार हल्का मंढा भीमसिंह तह0 कि0 रेनवाल जिला जयपुर राजस्थान की भूमि अप्रार्थी संख्या 03 से जरिये रजिस्र्टड विक्रय पत्र दिनांक 19.12.2018 को खरीद की थी। तब से प्रार्थी संख्या 02 अपने हिस्से पर जहां पर अप्रार्थी संख्या 03 ने कब्जा काश्त सुपुर्द किया उसी जगह काबिज काश्त चला आ रहा है और भूमि का उपयोग उपभोग करत आ रहा है। प्रार्थीगण अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हे। किन्तु वर्तमान में जब प्रार्थीगण ने राजस्व नक्शे की नकल पटवारी हल्का से प्राप्त की तो उपरोक्त आराजीयात के नक्शें में जहा पर प्रार्थी संख्या 01 अपनी आराजी खसरा नम्बर 324 पर काबिज है। उसी जगह खसरा नम्बर 1466/324 को दर्शित किया हुआ है। तथा जहा प्रार्थी संख्या 02 अपनी आराजी खसरा नम्बर 324 को दर्शित किया हुआ है। इस प्रकार राजस्व नक्शें के अनुसार यदि सीमाऐ कायम की गई तो विवाद उत्पन्न होने की

संभावना हो जायेगी। क्यों कि जमाबन्दी के अुनसार राजस्व नक्शें में दोनों की भूमियों का अंकन होना न्यायहित मे आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 03 को भी उक्त आराजीयात में दुरूस्ती करवाने के लिए कहा तो हमेशा बहाने बाजी करता रहा अन्त में अप्रार्थी संख्या 03 ने उक्त दुरूस्ती करवाने से इंकार कर दिया तब प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी व तहसीलदार को दिनांक 27.06.2024 को उक्त आरजीयात के राजस्व नक्शें में दुरूस्ती किये जाने के लिए निवेदन किया तो उनके द्वारा श्रीमान से आदेश लाने के लिए कहा इसलिए प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया । अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता अनिल शर्मा पेश हुए। पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा जवाब पेश नहीं करने के कारण दिनांक 25.07.2025 को जवाब बंद किया गया । सम्यक तामिल एंव उपसंजाति हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी गैर हाजिर रहने पर अप्रार्थी 03 के विरूद्व 25.07.25 को एक पक्षीय कार्यवाही पारित की गई ।

3. अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार ने जवाब पेश किया गया जिसके अनुसार ग्राम मंढाभीमसिंह के खसरा नम्बर 324 रकबा 0.4299 किस्म गै0मु0 आबादी कैलाश पुत्र चन्द्राराम जाति बलाई निवासी धाना का बास के नाम दर्ज है। किन्तु जरिये भूमि बेचान पत्र खसरा नम्बर 324 राकेश कुमार पुत्र शांता प्रसाद तोतला जाति महाजन को बेचान किया गया था परन्तु फर्द मौका रिकोर्ड अनुसार मौके पर रविशंकर सोनी काबिज है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 1466/324 रकबा 0.4299 है0 किस्म गै0मु0आबादी कानाराम पुत्र बजरंगलाल जाति बलाई निवासी मण्डावरी के नाम खातेदारी में दर्ज है। किन्तु रजि0 बेचान द्वारा रविशंकर पुत्र दौलतमल जाति सोनी को बेचान किया गया था। परन्तु फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर राकेश कुमार पुत्र शांता प्रसाद तोतला जाति महाजन काबिज है।

4. प्रकरण में बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वर्तमान राजस्व नक्शें में खसरा नम्बर 324 की जगह 1466/324 व खसरा नम्बर 1466/324 की जगह 324 अंकित किये जाने हेतु तहसीलदार कि0 रेनवाल को आदेश फरमाया जावे।

5. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया एंव प्रार्थी की बहस पर मनन किया। यहा पर सुसंगत विधिक प्रावधान राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 का उल्लेख आवश्यक है जिसके अनुसार

"136 Correction of error :- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register , or

which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Registe :Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be Corrected unless a notice to show cause has been given to the parties "

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है कि भू अभिलेख की त्रुटियों को हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर तथा रिकोर्ड निरीक्षण के दौरान राजस्व अधिकारी स्वंय द्वारा सुधार किया जा सकता है। बशर्ते प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाए।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिसके आधार पर हाल राजस्व नक्शे में त्रुटि की पुष्टि हो सके । प्रार्थीगण द्वारा केवल कब्जे के आधार पर राजस्व नक्शें में दुरूस्ती का अनुतोष चाह गया है। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार द्वारा भी राजस्व नक्शें मे त्रुटि संबंधी कोई कथन नहीं किया गया है। धारा 136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि भू–अभिलेखों में त्रुटि होने पर ही सुधार किया जाता है। कब्जे के आधार पर भू–अभिलेखो में धारा 136 के तहत संशोधन विधि सम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करना उचित एवम् न्यायसंगत प्रतीत होता है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम दस्तावेजो से साबित नहीं होने एंव सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफतर हो

निर्णय आज दिनांक 8/8/25 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सर्वेश शर्मा (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल